संख्या:3770/V/श0वि0/आ0–04–18(एच0के0एम0)/2003

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्धकुम्भ मेला–2004,
हरिद्वार।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 15 सितम्बर, 2004

विषय: वित्तीय वर्ष 2004–05 में मेलाधिकारी अर्द्धकुम्भ मेला–2004 के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0–13 लेखा शीर्षक–2217 के अन्तर्गत अधिष्ठान मद में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2072/एस0टी0/मेला/बजट, दिनांक 20 अगस्त, 2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष–2004–05 में अर्द्धकुम्भ मेला–2004 के लिए मेला अधिष्ठान हेतु रू0 125.00लाख (रू0 एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि, इस शासनादेश के संलग्नक में वर्णित मदों पर व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा और धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो।

4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय डी0पी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर एवं उक्त दरें उपलब्ध न होने की स्थिति में टेण्डर/कोटेशन आदि विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

5. कम्प्यूटर का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति के उपरान्त ही किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण प्रत्येक दशा में दिनांक 31 अक्टूबर,2004 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-हरिद्वार कुम्भ मेला हेतु अवस्थापना सुविधा-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-1121/वित्त अनु0-3/2004, दिनांक 10 सितम्बर, 2004द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या: 3170 (1) श0वि0-आ0-2004-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तरांचल सचिवालय।
4. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

15/9

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव।

15090400।

शासनादेश संख्या– 3770 /v/श0वि0–आ0–2004–18(एच0के0एम0)/2003,

दिनांक: सितम्बर,2004 का संलग्नक:–

| क0सं0 | मानक मद का नाम | वित्तीय वर्ष– 2004–2005 में लम्बित देयतायें (लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| 01 | 02–मजदूरी | 3.00 |
| 02 | 04–यात्रा व्यय | 0.17 |
| 03 | 05–स्था0 यात्रा व्यय | 0.20 |
| 04 | 07–मानदेय | 0.20 |
| 05 | 08–कार्यालय व्यय | 3.00 |
| 06 | 09–विद्युत देय | 12.00 |
| 07 | 11–लेखन सामग्री | 2.00 |
| 08 | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0.50 |
| 09 | 13–दूरभाष | 1.00 |
| 10 | 14–गाड़ियों का कय/किराया | 0.50 |
| 11 | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल | 3.25 |
| 12 | 17–भूमि अधिग्रहण | 30.00 |
| 13 | 19–विज्ञापन | 6.00 |
| 14 | 23–कम्प्यूटर अनुरक्षण | 0.20 |
| 15 | 42–अन्य व्यय | 62.98 |
| | कुल योग | 125.00 |

(रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव।